

01.04.2023 को राजविअ में लंबित न्यायालयी मामलों को दर्शाता हुआ विवरण:**1. उच्चतम न्यायालय (02 मामले)**

| क्र. सं. | पिटीशन संख्या तथा पिटीशनर का नाम | ट्रिब्यूनल का नाम / न्यायालय | सीजीएससी का नाम और मोबाइल नं. | दायर करने की तारीख | शामिल बड़े मुद्दे | हलफनामा दाखिल करने की स्थिति | वर्तमान स्थिति |
|----------|--|------------------------------|---|--------------------|--|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | एसएलपी सं. 25388/12 राजविअ द्वारा दायर | उच्चतम न्यायालय | श्री नरेश कौशिक काउंसेल | 23.07.2012 | राजविअ ने सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी श्री टी.एम. सम्पत को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के बराबर उच्च वेतनमान दिए जाने के आदेश को चुनौती दी है। | राजविअ पिटीशनर है। | मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवकाश दिया है अगली तारीख नहीं दी गई है। |
| 2. | एसएलपी सं. 7365/15 राजविअ द्वारा दायर | उच्चतम न्यायालय | श्री डी.एस. मेहरा, अधिवक्ता ऑन रिकार्ड सेंट्रल एजेंसी सेक्शन, एमओएलजे | 07.04.2015 | राजविअ ने श्री एस.एस. इंगलेश्वर अधीक्षक के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के बराबर उच्च वेतन मान के आदेश से चुनौती दी है। | राजविअ पिटीशनर है। | मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवकाश दिया है। अगली तारीख नहीं दी गई है। |

2. उच्च न्यायालय (20 मामले)

| क्र. सं. | पिटीशन संख्या तथा पिटीशनर का नाम | ट्रिब्यूनल का नाम / न्यायालय | सीजीएससी का नाम और मोबाइल नं. | दायर करने की तारीख | शामिल बड़े मुद्दे | हलफनामा दाखिल करने की स्थिति | वर्तमान स्थिति |
|----------|---|-----------------------------------|--|--------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 1 | डब्ल्यू पी सं. 17560/2005 श्री राम राज द्वारा दायर किया गया | तेलंगाना उच्च न्यायालय (हैदराबाद) | श्री बोम्मिनेनी नारायण रेड्डी (स.सो. जनरल) | 08.08.2005 | ई.ई पद पर पदोन्नति के लिए। | दायर | पिटीशनर की मामले में पैरवी करने की रुचि नहीं है। तथापि, मामला अभी लंबित है। अगली तारीख अभी तय नहीं है। |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|------------|---|--------------------------|---|
| | | | (98480399 51) | | | | |
| 2 | डब्ल्यू पी सं. 3341/08 ओ.एं.सं. 239/ 2008 के खिलाफ राजविअ द्वारा दायर | दिल्ली उच्च न्यायालय | श्री नरेश कौशिक कांसल | 29.04.2008 | राजविअ ने श्री टी.एम. संपत, प्रशा. अधिकारी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में कैट के निर्णय को चुनौती दी | राजविअ पिटीशनर है। | सुनवाई की पिछली तिथि 21.11.2022 अगली तारीख अभी तय नहीं है। |
| 3 | डब्ल्यू पी सं. 9083/09 श्री टी.एम. संपत द्वारा दायर किया गया। | दिल्ली उच्च न्यायालय | श्री आर.वी. सिन्हा कांसल | 06.04.2009 | श्री टी.एम संपत ने श्री दयानंद उपनिदेशक (प्रशासन) की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए आदेश तथा उनका उ.नि.(प्रशा.) पर नियुक्ति के लिए डीपीसी समीक्षा बैठक पर ओदश दिनांक 07.04.2008 सं. 220/2007 को चुनौती दी है। | दायर | सुनवाई की पिछली तिथि 30.11.2022 अगली तारीख अभी तय नहीं है। |
| 4 | डब्ल्यू पी सं. 11709/09 श्री एन. डी. शुक्ला ने दायर किया। | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर) | श्री राधे लाल गुप्ता एसजी | 11.06.2009 | ए.सी.पी योजना के अंतर्गत लाभ देने के संबंध में | दायर | अगली तारीख अभी तय नहीं है। |
| 5 | डब्ल्यू पी(सी) सं. 8604/10 श्री टी.एम. संपत द्वारा दायर किया गया। | दिल्ली उच्च न्यायालय | श्री आर.वी. सिन्हा, कांसल | 20.12.2010 | दिनांक 23.12.2004 को उ.नि.(प्रशा.) के पद पर चयन तथा उ.नि.(प्रशा.) के पद पर पदोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा | दायर | सुनवाई की पिछली तिथि 30.11.2022 अगली तारीख अभी तय नहीं है। |
| 6 | डब्ल्यू पी सं. 366/2017 राजविअ द्वारा दायर किया गया। | दिल्ली उच्च न्यायालय | श्री आर.वी. सिन्हा कांसल | 06.01.2017 | राजविअ ने श्री टी.एम. सम्पत प्रशा. अधिकारी के मामले में दिनांक 27.06.2008 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश को | राजविअ पिटीशनर है। | सुनवाई की अगली तिथि 02.05.2023 है। |

| | | | | | | | |
|----|---|------------------------------------|--|------------|---|--------------------|--|
| | | | | | रद्द करते हुए दिनांक 04.08.2016 को कैट, दिल्ली के ओ.ए. सं. 2504/2008 को चुनौती दी है। | | |
| 7 | सिविल अपील सं. 74/2016 मैसर्स महाश्वेता राय चौधरी एंड कम्पनी द्वारा दायर | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर) | श्री जिनेंद्र कुमार जैन | 15.12.2015 | ओवर बॉर्डन ड्रिलिंग के लिए ₹11,60,000/- के लंबित भुगतान के समायोजन के लिए। | दायर | प्लीडिंग पूरी हो गई है। अंतिम बहस करना बाकी है। अगली तारीख अभी तय नहीं है। |
| 8 | डब्ल्यू पी सं. 32371/2014, श्री एस.ए. चिन्नासामी तथा अन्य द्वारा दायर किया गया। | मद्रास उच्च न्यायालय | श्री जी कार्तिकेयन ए.एस.जी, 9445758059 | 04.12.2014 | पिटीशनर ने अंत:राज्यीय पोन्नियार (नेदुंगल अनीकट)-पालर नदी जोड़ परियोजना के 54.15 किमी लिंक से 6 किमी छोड़ने और उसे अन्य स्थान से निकालने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है। | दायर | राजविअ तथा जल संसाधन मंत्रालय दोनों प्रोफार्मा पार्टी हैं। अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 9 | डब्ल्यू पी सं. 1636/2018 राजविअ द्वारा दायर किया गया। | दिल्ली उच्च न्यायालय | श्री नरेश कौशिक, अधिवक्ता | 02.01.2018 | राजविअ ने श्री एस.एस. इंगलेश्वर, अधीक्षक ग्रेड-I (अवकाश प्राप्त) को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के संबंध में कैट, नई दिल्ली के दिनांक 27.11.2017 के ओ.ए.सं. 773/2017 के आदेश को चुनौती दी है। | राजविअ पिटीशनर है। | सुनवाई की अगली तिथि 25.05.2023 है। |
| 10 | डब्ल्यू पी (एम डी) सं. 17307/2018 श्री के.के. रमेश | तमिल नाडु उच्च न्यायालय (मदुरई) | श्री के. बालासुंदरम | 12.07.2018 | तमिलनाडु में युद्ध स्तर पर जल भंडारण के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए | दायर | यू.एस.आर.सं. 66873 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा न्यायालय में कांउटर एफीडेबिट दायर की गई |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|---------------------|------------|---|------|--|
| | द्वारा दायर किया गया। | | | | (राजविअ से संबंधित नहीं है।) | | है। अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 11 | डब्ल्यू पी सं. 21170/2017 श्री एम मुनियासामी फाउंडर सह प्रबंधन ट्रस्टी, तमिलनाडु लीगल सेफ्टी मूवमेंट | तमिलनाडु उच्च न्यायालय (मदुरई) | श्री के. बालासुंदरम | 14.03.2019 | किसानों को बचाने के लिए कावेरी, पलारु, वैगई, थमीरा परानी-बैप्पारु और कुंदारु जैसी नदियों को आपस में जोड़ने के लिए | दायर | यूएसआर सं. 66874 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा न्यायालय में काउंटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 12 | डब्ल्यू पी सं. 1590/2018 श्री ए.एम. सुंदरावैल द्वारा दायर किया गया। | तमिलनाडु उच्च न्यायालय (मदुरई) | श्री के. बालासुंदरम | 14.03.2019 | तमिलनाडु की सिंचाई परियोजना में सरकारी निधि का दुरुपयोग (राजविअ के दायरे में नहीं है) | दायर | यूएसआर सं. 67089 दिनांक 28.08.2019 के द्वारा न्यायालय में काउंटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 13 | डब्ल्यू पी सं. 4000/2019 श्री एन. गणेशकरन द्वारा दायर किया गया। | तमिलनाडु उच्च न्यायालय (मदुरई) | श्री के. बालासुंदरम | 14.03.2019 | देरापराई बांध का निर्माण (राजविअ के दायरे में नहीं है) | दायर | यूएसआर सं. 67088 दिनांक 28.08.2019 के द्वारा न्यायालय में काउंटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 14 | डब्ल्यू पी सं. 4351/2019 श्री ए. मुरुगसन सचिव, परिवालियल सुगरकेन, फार्मर्स एशोसिएशन | तमिलनाडु उच्च न्यायालय (मदुरई) | श्री के. बालासुंदरम | 14.03.2019 | मेयानुर बैराज से नहर द्वारा कावेरी अग्नीयारु तथा दक्षिणी वेल्लार नदियों को जोड़ना। राजविअ गतिविधियों से संबंधित | दायर | यूएसआर सं. 66879/2019 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा न्यायालय में काउंटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 15 | डब्ल्यू पी सं. 2864/2017 श्री कुमारी महा सभा द्वारा दायर किया गया। | तमिलनाडु उच्च न्यायालय (मदुरई) | श्री के. बालासुंदरम | 14.03.2019 | कन्याकुमारी जिले में बांधों एवं तालाबों पर ड्रेज डिसिल्ट एवं रखरखाव करना (राजविअ के दायरे में नहीं है) | दायर | यूएसआर सं. 66983/2019 दिनांक 27.08.2019 के द्वारा न्यायालय में काउंटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 16 | डब्ल्यू पी सं. 4998/2017 श्री के.के. रमेश द्वारा दायर किया गया। | तमिल नाडु उच्च न्यायालय (मदुरई) | श्री के. बालासुंदरम | 14.03.2019 | जलाशयों में जमा कीचड़ और कीचड़ युक्त मिट्टी को निकालना (राजविअ के दायरे में नहीं है) | दायर | यूएसआर सं. 66872 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा न्यायालय में काउंटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 17 | डब्ल्यू.पी.सं. | मध्य | श्री फैजल | 10.09.2019 | स्वर्ण रेखा नदी | दायर | दिनांक 06.03.2020 के |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--|-----------------------|---|
| | 19102/2019 श्री विश्वजीत रातोनिया द्वारा दायर किया गया। | प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच | अली शाह, अधिवक्ता | | की वाटर हार्वेस्टिंग | | द्वारा न्यायालय में कांउटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 18 | डब्ल्यू.पी.सं. 46919/14 श्री जी. राजन्ना, एमटीएस, नासिक द्वारा दायर किया गया। | कर्नाटक उच्च न्यायालय (बेंगलुरु) | श्री पी.बी. पुट्टसिद्देया, सीजीएससी | 23.19.2014 | फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में | दायर | अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 19 | डब्ल्यू.पी.सं. 11438/2022 श्री पुष्पेंद्र, सीधी भर्ती विज्ञापन संख्या 07/2021 मे कनिष्ठ अभियंता उम्मीदवार द्वारा दायर किया गया। | दिल्ली का उच्च न्यायालय | श्री अजय जैन, वरिष्ठ पैनल परामर्शदाता | 29.07.2022 | श्री पुष्पेंद्र की पद पर नियुक्ति के संबंध में | भरने की प्रक्रिया में | अदालत ने राजविअ को आईएसआईएस के स्थगन आदेश दिनांक 02.08.2022 के तहत नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द नहीं करने का निर्देश दिया है। अगली तारीख 26.04.2023 है। |
| 20 | डब्ल्यू.पी.सं. 6318/2022 श्री मुज्जफर अहेमद रिटायर्ड निदेशक(तक.) | दिल्ली का उच्च न्यायालय | श्री संजीव कुमार बाल्यान | 18.04. 2022 | सीडब्ल्यूसी के समतुल्य ग्रेड पे पाने हेतु | भरने की प्रक्रिया में | अगली तारीख 16.05.2023 है। |

3. केन्द्रीय प्रशासनिक अभिकरण (कैट) (12 मामले)

| क्र.सं. | पिटीशन संख्या तथा पिटीशनर का नाम | ट्रिब्यूनल का नाम / न्यायालय | सीजीएससी का नाम और मोबाइल नं. | दायर करने की तारीख | शामिल बड़े मुद्दे | हलफनामा दाखिल करने की स्थिति | वर्तमान स्थिति |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---|------------------------------|------------------------------------|
| 1. | ओ.ए. सं. 31/2018 श्री अभिषेक राव सूर्यवंशी द्वारा दायर किया गया। | कैट, जबलपुर | श्री ताजुद्दीन खान, अधिवक्ता | 09.01.2018 | अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के संबंध में | दायर | अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 2. | ओ.ए. सं. 1122/2017 श्री रमेश चंद्र, अ.श्रे.लि. द्वारा दायर | कैट, दिल्ली | श्री वाई. पी. सिंह, अधिवक्ता | 28.03.2017 | याचिकाकर्ता ने ए.सी.पी/ एम.ए.सी.पी लाभ वापस लेने के लिए राजविअ के | दायर | सुनवाई की अगली तिथि 10/04/2023 है। |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|-------------|--|-----------------------|--|
| | किया गया। | | | | निर्णय के विरुद्ध ओ.ए. दायर किया। | | |
| 3. | ओ.ए. सं. 3703/2018 श्री मती संगीता मेहरोत्रा, आशु लिपिक-II द्वारा दायर किया गया। | कैट, दिल्ली | श्री विजेन्द्र सिंह, अधिवक्ता | 28.09.2018 | याचिकाकर्ता ने ए.सी.पी./ एम.ए.सी.पी लाभ वापस लेने के लिए राजविअ के निर्णय के विरुद्ध ओ.ए. दायर किया। | दायर | सुनवाई की अगली तिथि 15/05/2023 है। |
| 4. | ओ.ए. सं. 260/50/2021 श्री अशोक कुमार मोहन्ती एवं अन्य के द्वारा दायर किया गया | कैट, कटक | श्री जितेन्द्र कुमार नायक, सीनियर पैनल काउंसिल (सी.जी.) 9437070166 | 27.01.2021 | पेंशन नियम 1972 के अनुसार पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के संबंध में | दायर | सुनवाई की अगली तिथि अधिसूचित नहीं की गई। |
| 5. | ओ.ए. सं. 242/2021 श्री नरेश कुमार द्वारा दायर किया गया | कैट, जोधपुर | श्री के.एस. यादव, अधिवक्ता एसीजीएससी | 17.12.2021 | राजविअ में कनिष्ठ अभियंता के पद पर उनकी सेवा बहाल करने के संबंध में | भरने की प्रक्रिया में | सुनवाई की अगली तिथि अधिसूचित नहीं की गई। |
| 6. | ओ.ए. सं. 134/2022 श्री टी. महेन्द्रन द्वारा दायर किया गया | कैट, चेन्नई | श्री जी. दामोदरन | 25.02.2022 | सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 16.10.2020 से | भरने की प्रक्रिया में | अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 7 | ओ.ए. सं. 608/2022 | कैट, कटक | श्री घसी राम वर्मा | 17.11. 2022 | पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के संबंध में | भरने की प्रक्रिया में | अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 8 | ओ.ए. सं. 609/2022 | कैट, कटक | श्रीमती ऊ. रा, पधि | 17.11. 2022 | पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के संबंध में | भरने की प्रक्रिया में | अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 9 | ओ.ए. सं. 610/2022 | कैट, कटक | श्री गोपीनाथ सेठी | 17.11. 2022 | पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के संबंध में | भरने की प्रक्रिया में | अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 10 | ओ.ए. सं. 611/2022 | कैट, कटक | श्री राजेश कुमार महापात्रा | 17.11. 2022 | पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के संबंध में | भरने की प्रक्रिया में | अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 11 | ओ.ए. सं. 612/2022 | कैट, कटक | श्री अमृत मिश्रा | 17.11. 2022 | पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के संबंध में | भरने की प्रक्रिया में | अगली तारीख तय नहीं की गई है। |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------|-------------------------|------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 12 | ओ.ए. सं. 613/2022 | कैट, कटक | श्री अरुण कुमार साहु | 17.11.2022 | पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के संबंध में | भरने की प्रक्रिया में | अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 13 | ओ.ए. सं. 2038/2022 | कैट, दिल्ली | श्री अदिश जैन | 05.08.2022 | डायरेक्टर(तक.) के पद पर पदोन्नति के लिए | भरने की प्रक्रिया में | सुनवाई की अगली तिथि 21/07/2023 है। |

सार

| क्र.सं. | न्यायालय का नाम | मामलों की संख्या |
|---------|----------------------------------|------------------|
| 1. | माननीय उच्चतम न्यायालय | 02 |
| 2. | माननीय उच्च न्यायालय | 20 |
| 3. | माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण | 13 |
| | कुल | 35 |